न्यायालय अपर जिला जज कक्ष सं01/मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, लखनऊ।

पीठासीन–अविनाश सक्सेना
(उच्चतर न्यायिक सेवा)

<u>प्रतिकर याचिका सं0.31/2007</u>

1.श्रीमती रामगुनी आयु 23 वर्ष पत्नी स्व0 महावीर(मृतक की पत्नी)

2.कु0 मीरा आयु 03 वर्ष पुत्री स्व0 महावीर(मृतक की पुत्री)

3.कु0 शालिनी आयु 02 वर्षपुत्री स्व0 महावीर(मृतक की पुत्री)

4.श्रीमती रामदेवी आयु करीब 50 वर्ष पत्नी स्व0 सोबरन(मृतक की माता)

निवासीगण ग्राम पकरिया मजरा ददेवरा थाना मछरेहटा जिला सीतापुर

-----**याचीगण**

1.अशोक कुमार वर्मा पुत्र राम औतार नि0 ग्राम अमानीनगर पोस्ट सहसापुर जिला सीतापुर

(वाहन स्वामी मोटर साईकिल नं0.यू0पी0–34/डी–2203)

2.नेशनल इंश्योरेंस कं0लि0,सीतापुर द्वारा मंडलीय प्रबन्धक प्रथम,जीवन भवन–!!,नवल किशोर रोड,हजरतगंज,लखनऊ ।

(बीमाकर्ता वाहन मोटर साईकिल नं0.यू0पी0–34/डी–2203)

-----**विपक्षीगण**

<u>उपस्थितः</u>

1.श्री सी0पी0 गुप्ता,विद्वान अधिवक्ता–याचीगण

2. श्री अनिल कुमार,विद्वान अधिवक्ता–विपक्षी सं0–1

3.श्री प्रकाश चन्द्रा,विद्वान अधिवक्ता–विपक्षी सं0–2.बीमा कं0

<u>नि र्ण य</u>

1. प्रस्तुत प्रतिकर याचिका अन्तर्गत धारा–163–ए मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अर्न्तगत याची की ओर से विपक्षीगण के विरूद्ध मोटर दुर्घटना में महावीर की मृत्यु हो जाने के फलस्वरुप हुयी क्षति के लिये मु0–8,83,000/–रूपये प्रतिकर मय ब्याज सहित दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में याची का कथन है कि दिनांक 30.11.2005 को समय 5.30 बजे शाम स्थान बडौरा पुल के पास,सीतापुर–शाहजहांपुर मार्ग थाना रामकोट जिला सीतापुर मे जब मृतक महावीर अपने ही गांव के

अरविन्द के साथ मोटर साईकिल नं0 यू0पी0–34/डी–2203 पर पीछे बैठकर आ रहा था कि चालक का मोटर साईकिल पर से नियंत्रण हट गया और वह जाकर डीसीएम से टकरा गया जिसमे मृतक महावीर को काफी चोटे आयी और उन्ही चोटो के परिणाम स्वरुप महावीर की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गयी। इस दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना रामकोट जिला सीतापुर मे मु0अ0सं0 1005/2005 धारा 279,337,304ए भादसं0 मे अज्ञात डीसीएम चालक के विरुद्ध पंजीकृत करायी गयी। कथित दुर्घटना के समय मृतक की आयु 26 वर्ष थी और वह काश्तकारी करके मासिक रुपये 3000/–मासिक आय अर्जित कर अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण करता था। याचीगण की ओर से दुर्घटना मे महावीर की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप याचिका के प्रस्तर–22 में विभिन्न मदों में वर्णित क्षतिपूर्ति रू0 –8,83,000/–ब्याज सहित विपक्षीगण से दिलाये जाने की याचना की है ।

3. विपक्षी सं0.1 अशोक कुमार वर्मा वाहन स्वामी पर सम्मन की पर्याप्त तामीला हुई और उसकी ओर वकालतनामा प्रस्तुत किया गया किन्तु उसकी ओर कोई जवाबदावा प्रस्तुत नही किया गया और न ही उसकी ओर से उपस्थित आ रहा है। अतः मुकदमे मे उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 23.10.08 को अग्रसारित की गयी।

4. विपक्षी सं0–2 नेशनल इंश्योरेंस कं0लि0 की ओर से वादोत्तर ए–18 प्रस्तुत कर याचिका के अधिकांश कथनों को जानकारी के अभाव में इन्कार किया गया है और अपने अतिरिक्त कथन मे यह कथन किया गया है कि याचीगण यह सिद्ध करे कि कथित दुर्घटना मोटर साईकिल नं0 यू0पी0–34/डी–2203 के चालक की असावधानी के कारण हुई। कथित दुर्घटना अज्ञात डीसीएम के चालक की तेजी एवं लापरवाही के कारण घटित हुई। याचीगण की ओर से डीसीएम के स्वामी एवं उसकी बीमा कम्पनी को याचिका मे पक्षकार नही बनाया गया है जिससे याचिका दूषित है। याचीगण की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट,आरोप पत्र,नक्शा नजरी, वाहन का तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट,पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चालक अनुज्ञा पत्र, पंजीयन व बीमा प्रपत्र आदि की प्रतिलिपियॉ दाखिल नही की है। विपक्षी बीमा कम्पनी को धारा–147,149,170 मोटरयान अधिनियम के अर्न्तगत अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु संरक्षण प्राप्त है। मोटर साईकिल के चालक के पास वैध एंव प्रभावी चालक अनुज्ञा पत्र नही था। वाहन का परिचालन बीमा संविदा की शर्तो के अनुसार नही किया जा रहा था । प्रतिकर याचिका विपक्षी–उत्तरदाता के विरुद्ध चलने योग्य नही है और निरस्त किए जाने योग्य है।

5. याची एंव विपक्ष सं0–2 बीमा कम्पनी के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद विन्दु दिनांक 23.10.2008 को विरचित किए गए :–

1. क्या दिनांक 30.11.05 को समय 5.30 बजे शाम बड़ौरा पुल के पास सीतापुर–शाहजहांपुर मार्ग थाना रामकोट जिला सीतापुर मे मृतक महावीर अपने ही गांव के अरविन्द की मोटर साईकिल यू0पी0–34/डी–2203 पर पीछे बैठकर जाते समय चालक के द्वारा नियंत्रण खो बैठने पर डीसीएम से टकरा गयी जिससे महावीर को काफी चोटे आयी और घटनास्थल पर महावीर की मृत्यु हो गयी?

2. क्या मोटर साईकिल चालक के पास घटना के समय वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाईसेंस नही था?

3. क्या मोटर साईकिल नं0 यू0पी0–34/डी–2203 विपक्षी सं0–2 से बीमित थी और बीमा की शर्तो के अनुसार संचालित थी?

4. क्या डीसीएम ट्रक के स्वामी व बीमा कम्पनी को पक्षकार न बनाये जाने के कारण याचिका दोषपूर्ण है?

5. क्या डीसीएम ट्रक की गलती के कारण दुर्घटना घटित हुई?

6. क्या याचीगण अनुतोष यदि कोई है,पाने के अधिकारी है?यदि हां तो किस विपक्षी से कितनी धनराशि?

6. याचीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य मे पी0डब्लू–1 श्रीमती रामगुनी की ओर से अपना साक्ष्य शपथ पत्र ए–22 तथा चक्षुदर्शी साक्षी पी0डब्लू–2 सुनील कुमार का साक्ष्य शपथ पत्र ए–28 प्रस्तुत किया गया। इन दोनो साक्षियो की ओर से विपक्षी–बीमा कम्पनी की ओर से प्रतिपृच्छा की गयी है।

7. याची की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची सी–7/1 से प्रथम सूचना रिपोर्ट की छाया प्रति सी–7/2,पोस्टमार्टम रिपोर्ट म छाया प्रति सी–7/3 सूची सी–13 से बीमा कवर नोट की छाया प्रति सी–13/2 तथा सूची सी–32 से चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट की कार्बन प्रति सी–32/1,एस0पी0 सीतापुर को प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रति सी–32/2,जनसूचना अधिकार अधि0 से प्राप्त सूचना की प्रति सी–32/3,अपर पुलिस अधीक्षक,दक्षिणी,सीतापुर को प्रेषित पत्र की प्रति सी–32/4, थाना रामकोट जिला सीतापुर की रिपोर्ट की प्रति सी–32/5,आरटीओ सीतापुर को प्रेषित प्रार्थना पत्र जनसूचना अधिकार अधि0 की प्रति सी–32/6,एआरटीओ से प्राप्त सूचना की प्रति सी–32/7,ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र सी–32/8,मतदाता पहचान पत्र की प्रति सी–32/9,आधार कार्ड की प्रति सी–32/10,उपजिलाधिकारी मिश्रिख द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र की प्रति सी–32/11 प्रस्तुत किया गया है।

8. विपक्षी–बीमा कम्पनी की ओर से कोई मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

9. मैंने याची एंव विपक्षी–बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया ।

10. विद्वान अधिवक्ता याचीगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिनी के पति मृतक महावीर काश्तकारी करके प्रतिमाह 3000/—रुपये मासिक अर्जित करता था। जिससे परिवार का भरण पोषण होता था। याचिनी पूर्ण रुप से मृतक पर आश्रित थी और उसके पति की असामायिक मृत्यु के कारण उसके समक्ष गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। अतः याचिनी को याचिका मे वर्णित वांछित क्षतिपूर्ति की राशि दिलायी जाये।

11. विपक्षी सं0—1 बीमा कम्पनी की ओर से यह तर्क दिया गया कि कथित दुर्घटना अज्ञात डीसीएम चालक की तेजी व लापरवाही के कारण घटित हुई और जिसे याचिका मे पक्षकार न बनाये जाने से याचिका दूषित है। यह भी कथन किया गया कि मोटर साईकिल चालक के पास कथित दुर्घटना के समय वैध एवं प्रभावी डी0एल0 नही था और न ही इसप्रकार का कोई डी0एल0 पत्रावली पर याचीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया है। इसलिए प्रतिकर अदायगी का कोई दायित्व विपक्षी—बीमा कम्पनी का नही है। याचिका विपक्षी—उत्तरदाता के विरुद्ध निरस्त किए जाने योग्य है।

12. विपक्षी सं0—1 बीमा कम्पनी की ओर से आगे यह भी तर्क दिया गया कि याचीगण ने दुर्घटना से सम्बंधित पुलिस प्रपत्रो की प्रमाणित प्रतियां पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया है जिसके कारण याचिनी की प्रतिकर याचिका के तथ्य साबित नही है और प्रतिकर याचिक अभिलेखीय साक्ष्य के अभाव मे निरस्त किए जाने योग्य है।

13. समस्त तर्को पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के उपरांत विरचित किए गए वाद बिन्दुओ पर निष्कर्ष निम्न प्रकार से दिया जा रहा हैः—

<u>निष्कर्ष</u>

<u>वाद बिन्दु सं0 1 का निस्तारणः</u>

14. वाद बिन्दु संख्या 1 के सम्बंध मे न्यायालय को यह विनिश्चित करना है कि क्या दिनांक 30.11.05 को समय 5.30 बजे शाम बड़ौरा पुल के पास सीतापुर—शाहजहांपुर मार्ग थाना रामकोट जिला सीतापुर मे मृतक महावीर अपने ही गांव के अरविन्द की मोटर साईकिल यू0पी0—34/डी—2203 पर पीछे बैठकर जाते समय चालक के द्वारा नियंत्रण खो बैठने पर डीसीएम से टकरा गयी जिससे महावीर को काफी चोटे आयी और घटनास्थल पर महावीर की मृत्यु हो गयी। वाद बिन्दु सं0—1 को सिद्ध करने का भार याचिनी सं0—1 पर है।

15. उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को पर गंभीरतापूर्वक विचार करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य के गहन अवलोकन, विश्लेषण, विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान

अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि याचिनी की ओर से दुर्घटना के तथ्यो को सिद्ध करने हेतु अपना स्वंय का मौखिक साक्ष्य बतौर पी0डब्लू–1 एवं दुर्घटना के स्वतंत्र/चक्षुदर्शी साक्षी पी0डब्लू–2 सुनील कुमार का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिनके साक्ष्य से दुर्घटना के तथ्य सिद्ध होते है। पी0डब्लू–1 याचिनी सं0–1 श्रीमती रामगुनी ने अपने शपथपूर्ण साक्ष्य मे यह कथन किया है कि दिनांक 30.11.2005 को साक्षी के पति अपने ही गांव के अरविन्द कुमार के साथ मोटर साईकिल नं0 यू0पी0–34/डी–2203 पर पीछे बैठकर यात्रा कर रहे थे कि समय 5.30 बजे शाम बडौरा पुल के पास सीतापुर–शाहजहांपुर रोड पर थाना रामकोट के अन्तर्गत पहॅुचने पर मोटर साईकिल चालक मोटर साईकिल से अपना नियंत्रण खो बैठा और सामने से आ रही डीसीएम ट्रक से टकरा गया जिसे महावीर को काफी चोटे आयी। फलस्वरुप मृतक की दुर्घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी। जिरह मे इस साक्षी ने यह कहा है कि उसने यह घटना नही देखी है। उसने यह देखा कि मोटर साईकिल पर पीछे बैठकर चले गये है। गाड़ी अरविन्द चला रहे थे पीछे महावीर बैठे थे। घटना शाम 5.30 बजे हुई थी। घटना की सूचना पुलिस ने घर पर दी थी। जब घर पर पुलिस आयी तो उसके जेठ घर पर थे। पुलिस ने इस मामले मे फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी है। मोटर साईकिल चालक अरविन्द का डी0एल0 दाखिल नही किया है। यह कहना गलत है कि यह दुर्घटना डीसीएम ट्रक चालक की गलती से हुई हो बल्कि यह दुर्घटना मोटर साईकिल चालक की गलती से हुई थी।

दुर्घटना के चक्षुदर्शी साक्षी पी0डब्लू–2 सुनील कुमार ने अपने शपथपूर्ण मुख्य साक्ष्य मे यह कथन किया है कि दिनांक 30.11.2005 को जब साक्षी अपने गांव के सत्येन्द्र कुमार के साथ मोटर साईकिल पर पीछे बैठकर सीता से लगभग 20 किमी दूर स्थित ग्राम अढौली मे रिश्तेदारी से वापस आ रहा था कि सायं करीब 5.15 बजे रास्ते मे सीतापुर बाईपास पर उसकी मुलाकात मोटर साईकिल सं0 यू0पी0–34/डी–2203 से आ रहे ग्राम पकरिया निवासी अरविन्द पुत्र संतराम से हुई जिस पर पीछे महावीर पुत्र स्व0 सोबरन लाल बैठे थे। लगभग 05 मिनट रुककर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान अरविन्द ने बताया कि वह सायपुर स्थित अपनी बुआ के यहां जा रहा है। अगले दिन सुबह जब साक्षी की मुलाकात गांव के तुलसीराम से हुई तो उन्होनें बताया कि गल शाम को करीब 5.30 बजे बडौरा पुल के पास हुए एक्सीडेन्ट मे महावीर की मृत्यु हो गयी। वह अरविन्द के साथ मोटर साईकिल पर पीछे बैठकर अरविन्द की बुआ के यहां सायपुर जा रहा था।

प्रतिपृच्छा मे इस साक्षी ने यह कहा है कि वह मोटर साईकिल नं0 यू0पी0–34/डी–2203 पर कई बार बैठा है। यह मोटर साईकिल अरविन्द को चलाते हुए देखा है किसकी मोटर साईकिल है यह उसे पता नही है। अरविन्द के पास यह गाड़ी दुर्घटना से 2–3 दिन पहले

से थी। घटना वाले दिन बातचीत के बाद अरविन्द व महावीर पश्चिम की ओर सायपुर की तरफ चले गये थे। अरविन्द कोई हेलमेट नही लगाये थे। महावीर पीछे बैठे थे। यह कहना गलत है कि दिनांक 30.11.05 को शाम के सवा पांच बजे मेरी महावीर से मुलाकात न हुई हो।

जहां तक अभिलेखीय साक्ष्य का प्रश्न है, याचिनी सं0–1 की ओर से सूची सी–7 से चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट की फोटोस्टेट प्रति सी–7/2 व मृतक महावीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फोटोस्टेट प्रति सी–7/3 प्रस्तुत किया है। चिक एफआईआर के अनुसार घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 01.12.2005 को सुबह 8.05 बजे थाना रामकोट जिला सीतापुर मे अंकित करायी गयी जोकि डीसीएम चालक नाम पता अज्ञात के विरुद्ध अंकित हुई जिसमे विवेचनोपरांत पुलिस द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी। इस चिक एफआईआर से दुर्घटना के तथ्य प्रमाणित हो रहे है। किन्तु विपक्षी–बीमा कम्पनी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि दुर्घटना के तथ्य का महत्वपूर्ण साक्षी अरविन्द था किन्तु याचीगण की ओर से उसे साक्ष्य मे प्रस्तुत नही किया गया जबकि वह इस दुर्घटना मे चोटहिल भी हुआ था। लेकिन याचीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य पी0डब्लू–1 एवं पी0डब्लू–2 के साक्ष्य एवं चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति व मृतक महावीर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दुर्घटना के तथ्य प्रथम दृष्ट्या साबित हो रहे है।

इसप्रकार स्पष्ट व ठोस प्रलेखीय साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य के आधार पर याचिनी सं0–1 वाद बिन्दु सं0–1 को अपने पक्ष मे साबित करने मे पूर्णतया सफल रही है। अतः वाद बिन्दु सं0–1 याचिनी के पक्ष मे निर्णीत किया जाता है।

<u>वाद बिन्दु सं0. 4 व 5 का निस्तारण</u>:–

16. न्यायाधिकरण को वाद बिन्दु सं0 4 के सम्बंध मे यह विनिश्चित करना है कि क्या डीसीएम ट्रक के स्वामी व बीमा कम्पनी को पक्षकार न बनाये जाने के कारण याचिका दोषपूर्ण है तथा वाद बिन्दु सं0 5 के सम्बंध मे न्यायाधिकरण को यह विनिश्चित करना है कि क्या डीसीएम ट्रक की गलती के कारण दुर्घटना घटित हुई। चूँकि यह दोनो वाद बिन्दु एक दूसरे से सम्बंधित है। अतः न्यायहित मे एक साथ समेकित करके निस्तारित किए जा रहे है। इन दोनो वाद बिन्दुओ को सिद्ध करने का भार विपक्षी सं0–2 बीमा कम्पनी पर था। किन्तु विपक्षी–बीमा कम्पनी की ओर से इस संदर्भ मे कोई मौखिक या प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। विपक्षी–बीमा कम्पनी की ओर से अपने प्रतिवाद पत्र एवं मौखिक तर्क मे कथन किया गया है। आपराधिक वाद मे भी पुलिस द्वारा विवेचनोपरांत डीसीएम चालक अज्ञात के विरुद्ध अन्तिम आख्या प्रेषित किया जोकि मजि0 न्यायालय से स्वीकृत होने का भी तर्क दिया गया है। जहांतक याचिका मे डीसीएम ट्रक के

स्वामी एवं उसकी बीमा कम्पनी को याचीगण द्वारा पक्षकार न बनाये जाने का प्रश्न है,तो यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि याचीगण का यह अधिकार है कि वह याचिका मे किसे पक्षकार बनाये और किसे न बनाये क्योंकि इसके लाभ–हानि के लिए याचीगण ही उत्तरदायी होगे। जहांतक डीसीएम चालक की तेजी,लापरवाही एवं गलती से दुर्घटना होने का प्रश्न है,तो याचीगण की ओर से अपनी याचिका व मौखिक साक्ष्य मे मोटर साईकिल के चालक की लापरवाही से दुर्घटना घटित होने का कथन किया गया है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर वाद बिन्दु सं0–4 व 5 तद्नुसार नकारात्मक रुप से याचीगण के पक्ष मे निस्तारित किए जाते है।

<u>वाद बिन्दु सं0–2 व 3 का निस्तारण</u>:–

17. न्यायाधिकरण को वाद बिन्दु सं0–2 के सम्बंध मे यह विनिश्चित करना है कि क्या मोटर साईकिल चालक के पास घटना के समय वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाईसेंस नही था तथा वाद बिन्दु सं0–3 के सम्बंध मे इस न्यायाधिकरण को यह विनिश्चित करना है कि क्या मोटर साईकिल नं0 यू0पी0–34/डी–2203 विपक्षी सं0–2 से बीमित थी और बीमा की शर्तो के अनुसार संचालित थी। चूँकि यह दोनो वाद बिन्दु एक दूसरे से सम्बंधित है। अतः न्यायहित मे समेकित करके निर्णीत किए जा रहे है। उक्त दोनो वाद बिन्दुओ को सिद्ध करने का भार याचिनी सं0–1 एवं विपक्षी सं0–1 वाहन स्वामी पर था। किन्तु प्रस्तुत प्रतिकर याचिका विपक्षी सं0–1 वाहन स्वामी के विरुद्ध एक पक्षीय रुप से अग्रसारित की गयी है क्योंकि उसकी ओर से कोई जवाबदावा प्रस्तुत नही किया गया और न ही कोई उपस्थित आया। याचिनी सं0–1 की ओर से पत्रावली पर न तो मोटर साईकिल चालक अरविन्द का कोई चालक अनुज्ञा पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है। जिसके अभाव मे यह स्पष्ट है कि कथित दुर्घटना के समय मोटर साईकिल अरविन्द के पास कोई चालक अनुज्ञा पत्र नही था। जहांतक मोटर साईकिल नं0 यू0पी0–32/डी–2203 के बीमित होने का प्रश्न है तो याचिनी सं0–1 की ओर विपक्षी सं0–2 नेशनल इंश्योरेंस कं0लि0 की ओर से निर्गत बीमा कवर नोट सं90 35700 कागज संख्या सी–13/2 पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया है जोकि विपक्षी सं0–1 अशोक कुमार वर्मा के नाम जारी किया गया है तथा दिनांक 22.04.2005 से 21.04.2006 की अवधि के लिए निर्गत किया गया है। कथित दुर्घटना दिनांक 30.11.2005 की है। अतः उक्त बीमा कवर नोट से यह सिद्ध है कि कथित दुर्घटना की तिथि को मोटर साईकि नं0 यू0पी0–34/डी–2203 विपक्षी सं0–2 नेशनल इंश्योरेंस कं0लि0 से बीमित था। इस बीमा कवर नोट के विरुद्ध विपक्षी सं0च–2–बीमा कं0 की ओर से अन्यथा मे कोई मौखिक या प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। अतः यह अवधारित किए जाने का पर्याप्त आधार है कि प्रश्नगत दुर्घटना की तिथि को दुर्घटना मे

संलिप्त मोटर साईकिल नं0 यू0पी0–34/डी–2203 विपक्षी सं0–2 से बीमित थी किन्तु उसका संचालन वैध डी0एल0 धारक चालक अरविन्द द्वारा नही किया जा रहा था।उक्त दोनो वाद बिन्दु तद्नुसार निस्तारित किए जाते है।

<u>वाद बिन्दु सं0–6 का निस्तारण</u>:–

18. इस वाद बिन्दु के सम्बंध मे न्यायालय को यह विनिश्चित किया जाना है कि क्या याचीगण कोई प्रतिकर धनराशि पाने के अधिकारी है। यदि हां तो किससे। इस वाद बिन्दु को सिद्ध करने का भार याचीगण पर है। याचिनी सं0–1 ने अपने प्रतिवाद वाद मे मृतक महावीर की आयु 26 वर्ष होना बताया है और यही आयु उसके द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य पी0.डब्लू–1 के रुप मे परीक्षित होकर शपथ पर बतायी है किन्तु मृतक की आयु के संदर्भ मे कोई प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। पत्रावली पर याचिनी सं0–1 की ओर से मृतक की पोस्टमार्टम आख्या कागज संख्या सी–7/3 प्रस्तुत किया है जिसमे चिकित्सक द्वारा भी मृतक महावीर की आयु 26 वर्ष अंकित की गयी है। अतः मृतक महावीर की मृत्यु के समय आयु 26 वर्ष मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर निर्धारित की जाती है।

19. याचिका मे मृतक महावीर को कृषि कार्य से मासिक आय 3000/– होना बताया गया है किन्तु इस सम्बंध मे याची की ओर से कोई प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। इसलिए मृतक महावीर की नोशनल इन्कम 3000/– रुपये मासिक निर्धारित की जाती है। मृतक की आयु एवं **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सरला वर्मा व अन्य प्रति दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन एमएसीडी 2009 सुप्रीम कोर्ट पेज 353** की विधि व्यवस्था के अनुसार 17 का गुणांक लगाया जाना विधि संगत होगा। इसप्रकार प्रतिकर धनराशि की गणना हेतु 3000X12X17=6,12,000 प्रतिकर धनराशि आती है। मृतक यदि जीवित रहता है तो इसमे से 1/3 भाग अपने पर व्यय करता अर्थात रुपये 2,04,000/– अपने पर व्यय करता। इसप्रकार प्रतिकर धनराशि रुपये 4,08000/– याचीगण पाने के अधिकारी है। इसके अतिरिक्त उक्त धनराशि का 10 प्रतिशत भविष्य मे होने वाली आय की हानि के लिए 40,800/–रुपये,दाह संस्कार के लिए 5000/–,सम्पदा की हानि के लिए 5000/– तथा याची को पुत्र विक्षोभ के लिए 5000/–रुपये दिलाया जाना **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कं0 प्रति प्रणय शेट्टी** मे दी गयी विधि व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य मे दिलाया जाना उचित होगा। इसप्रकार प्रतिकर की धनराशि रुपये 4,63,800/–निर्धारित की जाती है। याची इस धनराशि पर याचिका योजित होने की तिथि से अन्तिम भुगतान होने की तिथि तक 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी होगे।

20. अब प्रश्न यह उठता है कि उक्त प्रतिकर की धनराशि की अदायगी किस विपक्षी द्वारा की जायेगी। जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया जा चुका है कि दुर्घटना मे संलिप्त मोटर साईकिल नं0 यू0पी0–34/डी–22.3 का संचालन अरविन्द द्वारा किया जा रहा था और अरविन्द का कोई डी0एल0 पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया गया है। विपक्षी सं0–1 अशोक कुमार वर्मा उक्त मोटर साईकिल के पंजीकृत स्वामी है जैसा कि एआरटीओ,सीतापुर द्वारा सूचना अधिकार अधि0 के प्रार्थना पत्र पर सूचित किया गया है। अतः प्रतिकर अदायगी का दायित्व विपक्षी सं0–1 अशोक कुमार वर्मा का होगा। इस प्रतिकर अदायगी के लिए विपक्षी सं0–2 नेशनल इंश्योरेंस कं0लि0 का कोई उत्तरदायी नही है क्योंकि वाहन का संचालन बीमा शर्तो के विपरीत बिना वैध डी0एल0 धारक के द्वारा किया जा रहा था।

21. अतः प्रस्तुत प्रतिकर याचिका मे याचीगण प्रतिकर के रुप मे रुपये 4.63,800/– तथा इस धनराशि पर याचिका प्रस्तुत किए जाने की तिथि से अन्तिम भुगतान होने की तिथि तक 7 प्रतिशत वार्षिक की दर साधारण ब्याज सहित विपक्षी सं0–1 अशोक कुमार वर्मा के विरुद्ध एवार्ड किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

22. उपरोक्त निर्णय विनिश्चय निष्कर्ष के अनुसार याचीगण द्वारा प्रस्तुत यह मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर याचिका रू0 4,63,800/– (चार लाख इकसठ हजार आठ सौ) क्षतिपूर्ति तथा इस पर याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वास्तविक अदायगी होने तक की अवधि के लिये 7 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ अंशतः याचीगण के पक्ष में तथा विपक्षी सं0–1 अशोक कुमार वर्मा पुत्र राम औतार के विरुद्ध आज्ञाप्त किया जाता है । प्रतिकर याचिका विपक्षी सं0–2 नेशनल इंश्योरेंस कं0लि0 के विरुद्ध निरस्त की जाती है।

उपरोक्त निर्धारित प्रतिकर एंव ब्याज की धनराशि मे याचिनी सं0–1 श्रीमती रामगुनी को 20 प्रतिशत तथा याचिनी सं0 2 कु0 मीरा व याचिनी सं0–3कु0 शालिनी को प्रतिकर धनराशि 35–35 प्रतिशत तथा याचिनी सं0–4 श्रीमती रामदेवी को प्रतिकर धनराशि 10 प्रतिशत प्राप्त होगा। याचिनी सं0–2 कु0 मीरा व याचिनी सं0–3 कु0 शालिनी का मिलने वाली प्रतिकर धनराशि उनके वयस्क होने की अवधि तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के लाभकारी सावधि जमा योजना मे उनकी माता एवं संरक्षिका श्रीमती रामगुनी के माध्यम से निवेशित किया जायेगा। याचिनी सं0–1 श्रीमती राम गुनी व याचिनी सं0–4 श्रीमती रामदेवी को मिलने वाली प्रतिकर धनराशि नगद रेखांकित चेक/आरटीजीएस के माध्यम से प्राप्त होगी।

तद्नुसार एवार्ड बनाया जावे ।

(अविनाश सक्सेना)
अपर जिला जज न्यायालय सं0–1
मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण,
लखनऊ।

दिनांकः10.05.2018

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया ।

(अविनाश सक्सेना)
अपर जिला जज न्यायालय सं0–1
मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण,
लखनऊ।

दिनांकः10.05.2018